



राष्ट्रीय कोल्ड-चेन  
विकास केंद्र

वार्षिक रिपोर्ट

*2020-21*

प्रकाशक:



कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली- भारत  
का स्वायत्त संगठन

## राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

85, इंस्टिट्यूशनल एरिया, सेक्टर-18, गुरुग्राम-122015

### वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र(एन.सी.सी.डी) की वार्षिक रिपोर्ट

---

#### विषय-सूची

1.	लेखा एवं लेखापरीक्षा	1-2
2.	एन.सी.सी.डी. - उद्देश्य एवं विषयपरक	2-3
3.	स्थापना - एच.आर स्थिति(स्टेटस)	3
4.	एन.सी.सी.डी कार्यालय का स्थानांतरण	3
5.	सोसायटी सदस्यता स्थिति(स्टेटस)	4
6.	तकनीकी एवं अन्य पहल	5-6
7.	एन.सी.सी.डी की कार्यकारी समिति(स्टेटस)	7
8.	एन.सी.सी.डी की शासी परिषद्(स्टेटस)	8-9
9.	वर्षवार आय एवं व्यय खाता	11
10.	लेखापरीक्षा रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखा	13-24
11.	प्रयुक्त संकेतन और परिभाषाएं	25-26



## राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

85, इंस्टिट्यूशनल एरिया, सेक्टर-18, गुरुग्राम-122015

### वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र(एन.सी.सी.डी) की वार्षिक रिपोर्ट

#### 1. लेखा एवं लेखापरीक्षा

एन.सी.सी.डी को दिनांक 27.01.2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था और इसे सोसायटी के सदस्यों के रूप में हितधारकों के साथ सार्वजनिक-निजी-भागीदारी(पी.पी.पी.) मोड में संचालित करने के लिए बनाया गया था। कैबिनेट द्वारा दिनांक 09.2.2012 को अनुमोदन प्रदान करने के बाद, डी.ए.सी एवं एफ.डब्ल्यू ने इतनी ही धनराशि का कॉर्पस स्थापित करने के लिए रु.25 करोड़ का एकमुश्त अनुदान प्रदान किया, ताकि एन.सी.सी.डी को ब्याज के रूप में अर्जित आय और एन.सी.सी.डी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त शुल्क और शुल्क से अर्जित अन्य आय का उपयोग इसके प्रशासनिक, कार्मिकों और अन्य लागतों को पूरा करने में किया जाएगा, जैसा कि इसकी शासी(गवर्निंग) परिषद् द्वारा तय किया गया है। एन.सी.सी.डी का गठन इस तरह से किया गया है कि यह दिन-प्रतिदिन प्रत्यक्ष सरकारी भागीदारी से दूर होता है और सरकार पर इसके संचालन और रखरखाव की वजह से कोई लागत नहीं आती है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा करने के उद्देश्य से पैनल किए गए चार्टर्ड एकाउंटेंट मेसर्स ए.पी.एन. एंड एसोसिएट्स द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए खातों की लेखापरीक्षा की गई।

वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु आय एवं व्यय लेखा का सार निम्नलिखित है : (रुपए लाख में)

मद	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
ब्याज और अन्य से आय	237.88	239.42
घटाएं : प्रशासनिक खर्च	49.39	98.04
व्यय से अधिक आय	188.49	141.38
धारा 11 के तहत सकल आय के 15% की छूट	35.68	35.91
अगले 5 वर्ष "सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता" के प्रयोजनों के लिए अलग शेष(बैलेंस) - सेट अपार्ट(set apart)	152.81	105.47
<b>कुल</b>	<b>188.49</b>	<b>141.38</b>

एन.सी.सी.डी को जुलाई, 2015 में आयकर अधिनियम की धारा 12 ए के तहत “सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता” के रूप में पंजीकृत किया गया था। यह इसे प्रत्येक वर्ष अपनी सकल आय के 15% के लिए आयकर से छूट प्रदान करता है। सकल आय में से 85% अव्ययित धनराशि पर कर लग सकता है, जब तक कि अधिनियम की धारा 11(2) के तहत 5 वर्ष के भीतर भविष्य के खर्चों के लिए अलग(set apart) नहीं किया जाता है। अभी तक वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु कोई आयकर देयता नहीं है। एन.सी.सी.डी को दिनांक 01.04.2016 से कोल्ड-चेन ज्ञान प्रसार के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर सेवाकर से छूट दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक एन.सी.सी.डी के आय और व्यय खाते का वर्षवार सार क्रमांक 9 में दिया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लेखापरीक्षा और वार्षिक लेखे क्रमांक 10 में दिए गए हैं।

## 2. एन.सी.सी.डी - उद्देश्य एवं विषयपरक

एन.सी.सी.डी एक पंजीकृत सोसायटी है, जो सार्वजनिक-निजी-भागीदारी मोड के तहत स्वायत्त तरीके से कोल्ड-चेन पर एक प्रबुद्ध मंडल(थिंक टैंक) के रूप में कार्य करती है और इसका सरकार की किसी लागत के बिना संचालन किया जाता है। प्रारंभ में सरकार द्वारा पूंजी प्रदान की गई थी और एन.सी.सी.डी के उद्देश्य निम्नानुसार सिफारिश करना, सुझाव देना, आकलन करना, कार्य(अंडरटेक) तथा समन्वय करना, सुविधा प्रदान करना और बढ़ावा देना है :

- पोस्ट-हार्वैस्ट प्रबंधन सहित कोल्ड-चेन आधारिक संरचना/भवन हेतु मानकों और प्रोटोकॉल की सिफारिश करना ताकि अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रैक्टिसों के साथ सामंजस्य स्थापित करना और कोल्ड-चेन उद्योग द्वारा प्रदान किए गए आधारिक संरचना/भवन, प्रक्रिया और सेवाओं के बैचमार्किंग और प्रमाणन के लिए तंत्र(मेकेनिज्म) का सुझाव देना।
- संभावित निवेशकों/उद्यमियों के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सांकेतिक दिशा-निर्देशों संबंधी सुझाव देना।
- कोल्ड-चेन आधारिक संरचना के लिए उपयुक्त आई.टी आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली का आकलन और विकास करना।
- हितधारकों के परामर्श से कोल्ड-चेन उद्योग के विकास के लिए आवश्यक अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) कार्य करना और समन्वय करना। .
- मानव संसाधन विकास(एच.आर.डी) और क्षमता निर्माण के कार्य को शुरू करना और समन्वय करना। यह कोल्ड-चेन विकास के लिए संबंधित गृह(इन-हाउस) प्रशिक्षण, अल्पकालिक/दीर्घकालिक पाठ्यक्रम भी आयोजित कर सकता है।

- हितधारकों को एकीकृत कोल्ड-चेन के लाभों के बारे में जागरूक करने तथा शिक्षित करने के लिए प्रचार अभियान शुरू करना।
- कोल्ड-चेन के विकास से संबंधित उपयुक्त नीतिगत ढांचे(फ्रेमवर्क) की सिफारिश करना।
- विकारी(पेरिशेबल) कृषि, बागवानी और संबद्ध वस्तुओं के लिए बहु-मॉडल सुविधाओं के विकास को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय विकारी(पेरिशेबल) वस्तुएं ग्रीन ग्रिड की स्थापना करना।

### 3. स्थापना - एच.आर स्थिति(स्टेटस)

श्री राजबीर सिंह, जे.एस(एमआईडीएच)/एमडी एन.एच.बी ने दिनांक 17.10.2019 से निदेशक, एन.सी.सी.डी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। श्री बी.एन.एस मूर्ति, बागवानी आयुक्त ने दिनांक 28.02.2020 से दिनांक 31.05.2021 तक सी.ई.ओ-एन.सी.सी.डी का अतिरिक्त प्रभार संभाला था।

एन.सी.सी.डी की कार्यकारी समिति(ई.सी) ने प्रारंभ में 13 कर्मचारियों की मंजूरी दी, जिसके प्रति दिनांक 31.3.2021 को केवल 6 व्यक्ति पदस्थ थे। एन.सी.सी.डी की कार्यकारी समिति में सचिव(डीए एंड एफडब्ल्यू) की अध्यक्षता में 13 सदस्य होते हैं। शासी परिषद्(गवर्निंग काउंसिल) में अध्यक्ष के रूप में सचिव(डीए एंड एफडब्ल्यू) के तहत 16 सदस्य होते हैं। ई.सी एवं जी.सी सदस्यों की सूची अनुलग्नक 7 तथा 8 में संलग्न है:

### 4. एन.सी.सी.डी कार्यालय का स्थानांतरण

एन.सी.सी.डी दिनांक 27.1.2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज, गुरुग्राम में पंजीकृत किया गया था और शुरुआत में इसका कार्यालय एन.एच.बी परिसर में था। इसके बाद, इसका कार्यालय जनपथ भवन, नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। एन.एच.बी तथा डी.ए एंड एफ.डब्ल्यू के साथ समन्वय में अपनी भूमिका का निर्वहन करने में प्रशासनिक सुविधा और प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए कार्यालय आदेश दिनांकित 7.8.2021 द्वारा एम.डी, एन.एच.बी को दो संगठनों के बीच प्रभावी समन्वय के लिए एन.सी.सी.डी के पदेन निदेशक के रूप में नामित किया गया है। एन.सी.सी.डी कर्मचारियों को तदनुसार गुरुग्राम में एन.एच.बी परिसर में एक अलग ब्लॉक में स्थानांतरित कर दिया गया है।

## 5. सोसायटी सदस्यता स्थिति(स्टेटस)

मार्च, 2021 में, एन.सी.सी.डी में 24 आजीवन सदस्य हैं। सदस्यों की श्रेणी-वार सूची निम्नलिखित है:

श्रेणी-फीस(रु.)	वार्षिक	जीवनपर्यंत	कुल
कंपनी-सी (50,000 / 4,00,000)	-	5	5
एसोसिएट-ए (10,000)	-	-	-
शैक्षिक संस्थान - आर शून्य(निल)	-	16	16
संरक्षक(पैट्रॉन)- पी (20,00,000)	-	1	1
उत्पादक(ग्रोवर)-जी (टर्नओवर <5 लाख- (निल); अन्य - 10,000)	-	-	-
उद्योग निकाय(बॉडी) - आई (75,000 / 5,00,000)	-	2	2
	-	24	24

सोसायटी के सदस्य हितधारकों के रूप में एन.सी.सी.डी की गतिविधियों में शामिल होते हैं और एन.सी.सी.डी के प्रतिनिधि के रूप में जानप्रसार गतिविधि कर सकते हैं। सहभागिता करने वाले सदस्यों के नामांकन सामान्य रूप से खुले(ओपन एंडेड) होते हैं और चयन समिति द्वारा आवेदनों का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अलावा, कोल्ड-चेन विकास के लिए नोडल अधिकारियों को एम.आई.डी.एच द्वारा राज्यों में नामित किया जाता है, जिनसे राज्य स्तर की गतिविधियों संबंधी संबंध स्थापित और समन्वय करने की उम्मीद की जाती है। हालांकि, यह देखा गया है कि राज्य स्तर पर निरंतर पुनः समनुदेशन और परिवर्तन होते हैं।

## 6. तकनीकी एवं अन्य पहल

### एन.सी.सी.डी के परामर्शक कार्य(एडवाइजरी फंक्शन्स)

क) एन.सी.सी.डी निम्नलिखित क्षेत्रों में एन.सी.सी.डी के सदस्यों के साथ समन्वय में क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है :

- i) कोल्ड-चेन योजनाओं पर आउटरीच जागरूकता अभियान
- ii) पकने(राइपनिंग) वाले चैम्बरों हेतु उद्यमी विकास तथा कौशल प्रशिक्षण
- iii) कोल्ड-चेन पर तकनीकी प्रशिक्षण
- iv) फ्रांस में कोल्ड-चेन पर सेमाफ्रॉइड द्वारा प्रशिक्षण

ख) एन.सी.सी.डी ने कृषि उद्यान, खराब होने(पेरिशिबल) वाले कार्गो की आवाजाही हेतु रेफ्रिजरेटेड कोर्चों, ऑपरेशन ग्रीन, एन.एच.बी के क्लस्टर विकास कार्यक्रम, एम.आई.डी.एच के ई.एफ.सी मेमो, पूर्वोत्तर(नार्थ-इस्टर्न) क्षेत्र के जैविक मूल्य चेन विकास कार्यक्रम इत्यादि पर जानकारी प्रदान की है और आई.सी इंटरैक्शन का समर्थन किया है।

ग) एम.आई.डी.एच की परियोजना मूल्यांकन समिति और एपीडा(ए.पी.ई.डी.ए) की तकनीकी समितियों में एन.सी.सी.डी है। एन.सी.सी.डी ने मूल्य वृद्धि को कम करने हेतु कार्रवाई सहित प्याज निकासी और भंडारण विकल्पों पर उपभोक्ता मामलों के विभाग को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया है; एम.ओ.सी.आई के साथ राउंडटेबल्स के दौरान राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति; राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की पहचान करने में डी.ए एंड एफ.डब्ल्यू को इनपुट; इत्यादि पर बातचीत।

घ) एन.सी.सी.डी लॉजिस्टिक्स सेक्टर कौशल काउंसिल(एल.एस.सी) की शासी(गवर्निंग) काउंसिल का सदस्य है, जिसने लॉजिस्टिक्स सेक्टर में कुशल मानव संसाधन विकसित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं।

ड) एन.सी.सी.डी ने रेफ्रीजरेटेड ट्रक ऑपरेटर्स सहित कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स में प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने पर रणनीतिक जानकारी प्रदान की है।

च) एन.सी.सी.डी ने सड़क परिवहन सेवाओं के लिए रणनीति/श्वेत पत्र का मसौदा तैयार करने के लिए भारतीय मानक मानक ब्यूरो(बी.आई.एस) द्वारा गठित परिवहन सेवा सेक्शनल



समिति(एस.एस.डी-01) के पैनल के सदस्य के रूप में विभिन्न तकनीकी बैठकों में सहभागिता की और अपना योगदान दिया।

छ) एन.सी.सी.डी ने परियोजना अनुमोदनों, लागत मानदंड, तकनीकी मामलों इत्यादि से संबंधित एम.आई.डी.एच, ए.पी.ई.डी.ए, एम.ओ.एफ.पी.आई की तकनीकी समिति की बैठकों में सदस्य/आमंत्रित के रूप में सहभागिता की।

### **परियोजना संक्रमण(ट्रांजिसन)**

शेफील्ड विश्वविद्यालय अगस्त, 2019 से सितंबर, 2021 तक अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी(ट्रांजिसन) - एक बहु-विषयक परियोजना के माध्यम से भारत में कोल्ड फूड चेन को रूपांतरित करने(ट्रांसफॉर्मिंग) पर अनुसंधान कर रहा है, जिसे ग्लोबल चैलेंज रिसर्च फंड द्वारा चुना गया है। परियोजना का उद्देश्य भारत में स्थलों(साइटों) पर सतत कोल्ड-चेन विकास हेतु डिमॉन्स्ट्रेशन(इनक्यूबेशन/डेमोहॅब्स) की स्थापना करना है। यह फार्म-टू-फोर्क तक ताजा खाद्य आपूर्ति चेन में अंतरिक्ष थर्मल इंजीनियरिंग, क्रायोजेनिक्स, इन्फ्रारेड थर्मोग्राफी, डेटा विज्ञान क्षमताओं इत्यादि के उपयोग का पता लगाएगा। परियोजना नेतृत्व(प्रोजेक्ट लीड्स) ने वर्ष 2018 में भारत का दौरा किया और एन.सी.सी.डी के साथ बातचीत की और एन.सी.सी.डी परियोजना पर परामर्श दे रहा है।

7. एन.सी.सी.डी की कार्यकारी समिति(स्टेटस)

मार्च, 2020

क्रमांक	नाम एवं पता	पदनाम
1.	सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	अपर सचिव(प्रभारी बागवानी) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	समिति सदस्य (दिनांक 7.1.2013 को जी.सी. द्वारा अनुमोदित)
3.	संयुक्त सचिव(एम.आई.डी.एच), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	समिति सदस्य (दिनांक 7.1.2013 को जी.सी. द्वारा अनुमोदित)
4.	कृषि विपणन सलाहकार एवं संयुक्त सचिव(विपणन), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	समिति सदस्य
5.	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, 85, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-18, गुडगांव, हरियाणा	समिति सदस्य
6.	रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधि, (भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समक्ष पद से कम नहीं), रेल भवन, नई दिल्ली	समिति सदस्य
7.	प्रबंध निदेशक, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, 4/1, सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौस खास, नई दिल्ली	समिति सदस्य
8.	सचिव के प्रतिनिधि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित (दिनांक 25.7.14 को सचिव, ए.सी एंड एफ.डब्ल्यू द्वारा अनुमोदित)
9.	सचिव के प्रतिनिधि, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग (डी.ए.एच.डी.एफ), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित (दिनांक 25.7.14 को सचिव, ए.सी एंड एफ.डब्ल्यू द्वारा अनुमोदित)
10.	भारतीय उद्योग संघ(सी.आई.आई) के प्रतिनिधि	समिति सदस्य
11.	कोल्ड स्टोरेज सेवा प्रदाता से निर्वाचित सदस्य	समिति सदस्य
12.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एन.सी.सी.डी (जी.सी. में उद्योग विशेषज्ञ)	समिति सदस्य (दिनांक 21.12.2018 को तीसरी(3rd) जी.सी. द्वारा अनुमोदित)
13.	निदेशक, एन.सी.सी.डी	सदस्य सचिव

(एन.सी.सी.डी के उपनियमों के अनुसार यदि अन्यथा ब्रैकेट में नहीं कहा गया हो)

**8. एन.सी.सी.डी की शासी(गवर्निंग) परिषद्(स्टेटस)**

क्रमांक	नाम	सोसायटी में पदनाम
1.	सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन अध्यक्ष
2.	अपर सचिव(प्रभारी बागवानी) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित
3.	वित्त सलाहकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य (दिनांक 2.3.15 को सचिव, ए.सी एंड एफ.डब्ल्यू द्वारा अनुमोदित)
4.	महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो(बी.आई.एस), मानक भवन, 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002	पदेन सदस्य
5.	संयुक्त सचिव(एम.आई.डी.एच), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
6.	कृषि विपणन सलाहकार एवं संयुक्त सचिव(विपणन), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
7.	सचिव के प्रतिनिधि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से कम न हो, पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
8.	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, 85, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-18, गुडगांव, हरियाणा	पदेन सदस्य
9.	रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधि, (भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समक्ष पद से कम नहीं) रेल भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
10.	अध्यक्ष-अपीडा(ए.पी.ई.डी.ए) एन.सी.यू.आई भवन, 3 इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
11.	प्रबंध निदेशक, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, 4/1, सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौस खास, नई दिल्ली-110016	पदेन सदस्य
12.	डी.ए.सी. द्वारा नामित दो भिन्न राज्यों के ए.पी.सी/प्रमुख सचिव/सचिव(कृषि/बागवानी/विपणन)	भारत सरकार द्वारा नामित
13.	डी.ए.सी. द्वारा नामित दो भिन्न राज्यों के ए.पी.सी/प्रमुख सचिव/सचिव(कृषि/बागवानी/विपणन)	भारत सरकार द्वारा नामित

क्रमांक	नाम	सोसायटी में पदनाम
14.	भारतीय उद्योग संघ(सी.आई.आई) का प्रतिनिधि 23, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	पदेन सदस्य
15.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एन.सी.सी.डी., (जी.सी. में उद्योग विशेषज्ञ)	पदेन सदस्य (दि. 21.12.2018 को तीसरी(3rd) जी.सी. द्वारा अनुमोदित)
16.	निदेशक, एन.सी.सी.डी	सदस्य सचिव

(एन.सी.सी.डी के उपनियमों के अनुसार यदि अन्यथा ब्रैकेट में नहीं कहा गया हो)



9. एन.सी.सी.डी के वर्षवार आय एवं व्यय खाता

(रु. लाख में)

क्र. सं.	आय/व्यय	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
<b>क</b>	<b>आय</b>										
1	ब्याज से आय	0.34	183.58	253.73	263.26	275.03	285.42	254.20	225.38	239.42	237.88
2	सदस्यता शुल्क	12.00	3.41	39.48	25.48	16.97	17.15	4.22	-	-	
3	मूल्यांकन समर्थन	-	-	11.40	45.80	22.93	4.01	-	-	-	
	<b>कुल - क</b>	<b>12.34</b>	<b>186.99</b>	<b>304.61</b>	<b>334.54</b>	<b>314.92</b>	<b>306.58</b>	<b>258.42</b>	<b>225.38</b>	<b>239.42</b>	<b>237.88</b>
<b>ख</b>	<b>व्यय</b>										
1	वेतन	-	6.37	23.89	76.90	72.89	85.46	81.28	76.71	78.11	29.11
2	अन्य खर्चे	0.38	5.64	20.30	28.03	11.69	22.41	15.93	17.48	19.93	20.28
	<b>कुल - ख</b>	<b>0.38</b>	<b>12.01</b>	<b>44.19</b>	<b>104.93</b>	<b>84.58</b>	<b>107.87</b>	<b>97.21</b>	<b>94.19</b>	<b>98.04</b>	<b>49.39</b>
<b>ग</b>	<b>अधिशेष(क-ख)</b>	<b>11.96</b>	<b>174.98</b>	<b>260.42</b>	<b>229.61</b>	<b>230.34</b>	<b>198.71</b>	<b>161.21</b>	<b>131.19</b>	<b>141.38</b>	<b>188.49</b>



## 10. लेखापरीक्षा और वार्षिक खाता

### ए.पी.एन एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

4232/1, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली - 110002

#### फार्म नं.10बी

[नियम 17-बी देखें]

#### धर्मार्थ अथवा धार्मिक न्यासों अथवा संस्थानों के मामले में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए(बी) के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने दिनांक 31-03-2021 को राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र, नई दिल्ली के तुलनपत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के खाते की जांच की है, जो उक्त संस्था द्वारा बनाए गए खाता बही(बुक ऑफ अकाउंट) के अनुसार है।

हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे। हमारी राय में, हमारे द्वारा देखी गई उपर्युक्त नामित संस्था के मुख्यालय एवं शाखाओं में उपर्युक्त खाता बही रखे गए हैं, जैसा कि हमारी जांच से प्रतीत होता है, और लेखापरीक्षा के प्रयोजनों हेतु पर्याप्त उचित रिटर्न शाखाओं से प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हमारे द्वारा नीचे दी गई टिप्पणियों के अधीन नहीं देखा गया है :

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दी गई जानकारी के अनुसार उक्त खाते एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रकट करते हैं:

(क) दिनांक 31-03-2021 तक उपर्युक्त नामतः संस्थान के मामलों की स्थिति(स्टेट ऑफ अफेयर्स) के तुलन-पत्र के मामले में; और

(ख) आय और व्यय खाते के मामले में, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए निर्धारित व्यय से अधिक आय।

कृते ए.पी.एन एंड एसोसिएट्स  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

स्थान : दिल्ली

दिनांक: 28-09-2021

(जितेंद्र नाथ)

साझेदार

सदस्यता सं. : 015549

4232/1, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली - 110002

फर्म पंजीकरण संख्या - 001876 एन

यू.डी.आई.एन : 20015549एएएबीजे4373





राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र  
31 मार्च, 2021 को तुलन-पत्र

(रुपये)

विवरण	अनुसूची	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
<b>पूँजीगत निधियां एवं देयताएं :</b>			
पूँजीगत निधि(कॉर्पस)	1	25,00,00,000	2,50,000,000
सामान्य निधि(आरक्षित एवं अधिशेष)	2	6,95,57,884	6,59,89,702
आई.टी.अधिनियम 1961 की धारा11(2) के तहत सेट एसाइड	3	8,03,93,785	6,61,12,636
चालू देयताएं	4	11,50,856	85,44,931
स्थायी परिसंपत्तियां - कॉर्पस(कोन्ट्रा)	5	8,709	10,433
स्थायी परिसंपत्तियां - एन.एल.ए(कोन्ट्रा)	5	3,45,433	4,02,587
<b>कुल</b>		<b>40,14,56,667</b>	<b>39,10,60,289</b>
<b>परिसंपत्तियां :</b>			
निवेश - मियादी जमा	6	37,38,00,000	35,63,00,000
चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	7	2,73,02,525	3,43,47,269
स्थायी परिसंपत्तियां - कॉर्पस(कोन्ट्रा)	5	8,709	10,433
स्थायी परिसंपत्तियां - एन.एल.ए(कोन्ट्रा)	5	3,45,433	4,02,587
<b>कुल</b>		<b>40,14,56,667</b>	<b>39,10,60,289</b>

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और खातों पर टिप्पणियां 10

अंकित तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.पी.एन एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन : 001876 एन

कृते राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केन्द्र

(सी.ए. जितेंद्र नाथ)

साझेदार

सदस्यता संख्या 015549

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 28 सितंबर, 2021

(के.के. ढींगरा)

वित्त सलाहकार

(राजबीर सिंह पंवार)

निदेशक



राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा

(रुपये)

विवरण	अनुसूची	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
<b>आय :</b>			
अर्जित ब्याज	8	2,37,87,883	2,39,42,323
<b>कुल(ए)</b>		<b>2,37,87,883</b>	<b>2,39,42,323</b>
<b>राजस्व व्यय :</b>			
स्थापना(वेतन एवं मजदूरी)		29,10,434	78,11,370
प्रशासनिक व्यय	9	20,28,118	19,92,999
<b>कुल(बी)</b>		<b>49,38,552</b>	<b>98,04,369</b>
<b>व्यय से आय की अधिकता(ए-बी)</b>		<b>1,88,49,331</b>	<b>1,41,37,954</b>
घटाएं : जनरल रिजर्व में अंतरित		35,68,182	35,91,348
आई.टी.अधिनियम की धारा11(2) के तहत सेट एसाइड(set aside)		1,52,81,149	1,05,46,606

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और खातों पर टिप्पणियां 10

अंकित तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.पी.एन एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

कृते राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केन्द्र

एफआरएन : 001876 एन

(सी.ए. जितेंद्र नाथ)

(के.के.ढींगरा)

(राजबीर सिंह पंवार)

साझेदार

वित्त सलाहकार

निदेशक

सदस्यता संख्या 015549

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 28 सितंबर, 2021

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र  
31 मार्च, 2021 को वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनती हुई अनुसूचियां

अनुसूची 1 : पूंजीगत निधि (कॉर्पस)

(रुपये)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
भारत सरकार (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय/एन.एच.बी)	25,00,00,000	25,00,00,000
<b>कुल</b>	<b>25,00,00,000</b>	<b>25,00,00,000</b>

अनुसूची 2 : सामान्य निधि (आरक्षित एवं अधिशेष)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार आरंभिक शेष(ओपनिंग बैलेंस)	6,59,89,702	6,23,98,354
जोड़ें : व्यय से अधिक आय	35,68,182	35,91,348
<b>कुल</b>	<b>6,95,57,884</b>	<b>6,59,89,702</b>

अनुसूची 3 : आई.टी.अधिनियम 1961 की धारा11(2) के तहत सेट एसाइड(set aside)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार आरंभिक शेष(ओपनिंग बैलेंस)	6,61,12,636	5,55,66,030
जोड़ें : आई.टी.अधिनियम की धारा11(2) के तहत सेट एसाइड	1,52,81,149	1,05,46,606
घटाएं : प्रयुक्त धनराशि	10,00,000	-
<b>कुल</b>	<b>8,03,93,785</b>	<b>6,61,12,636</b>

अनुसूची 4 : चालू देयताओं का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
देय खर्च	1,50,856	3,49,138
देय एन.एल.ए निधि(एम.आई.डी.एच)	-	-
सेट एसाइड(set aside) हेतु भुगतान	10,00,000	81,95,793
<b>कुल</b>	<b>11,50,856</b>	<b>85,44,931</b>

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

31 मार्च, 2021 को वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनती हुई अनुसूचियां

अनुसूची 5- स्थायी परिसंपत्तियां-कॉर्पस

(रुपये)

विवरण	ब्लॉक	डब्ल्यू.डी.वी	जोड़ें (एडीशन्स)	कुल	मूल्यहास	डब्ल्यू.डी.वी
		1.4.2020 को	वित्त वर्ष 2020-21	31.3.2021 को	चालू वर्ष हेतु	31.3.2021 को
वाटर डिस्पेंसर	15%	2,817	-	2,817	423	2,394
माइक्रोवेव	15%	3,534	-	3,534	530	3,004
मोबाइल	15%	3,729	-	3,729	559	3,170
<b>उप-योग</b>		<b>10,080</b>	<b>-</b>	<b>10,080</b>	<b>1,512</b>	<b>8,568</b>
कंप्यूटर्स	60%	212	-	212	127	85
लैपटॉप	60%	73	-	73	44	29
सॉफ्टवेयर(टैली)	60%	68	-	68	41	27
<b>उप-योग</b>		<b>353</b>	<b>-</b>	<b>353</b>	<b>212</b>	<b>141</b>
<b>कुल</b>		<b>10,433</b>	<b>-</b>	<b>10,433</b>	<b>1,724</b>	<b>8,709</b>

अनुसूची 5- स्थायी परिसंपत्तियां-एन.एल.ए

(रुपये)

विवरण	ब्लॉक	डब्ल्यू.डी.वी	जोड़ें(एडीशन्स)	कुल	मूल्यहास	डब्ल्यू.डी.वी
		1.4.2020 को	वित्त वर्ष 2020-21	31.3.2021 को	चालू वर्ष हेतु	31.3.2021 को
फर्नीचर	10%	1,21,932	-	1,21,932	12,193	1,09,739
<b>उप-योग</b>		<b>1,21,932</b>	<b>-</b>	<b>1,21,932</b>	<b>12,193</b>	<b>1,09,739</b>
कॉर्डलेस फोन	15%	32,541	-	32,541	4,881	27,660
एल.सी.डी. स्क्रीन	15%	22,346	-	22,346	3,352	18,994
स्कैनर/फोटोकॉपियर	15%	17,161	-	17,161	2,574	14,587
टैबलेट्स	15%	50,469	-	50,469	7,570	42,899
मोबाइल	15%	36,254	-	36,254	5,438	30,816
रेफ्रिजरेटर	15%	6,034	-	6,034	905	5,129
एयर कंडीशेनर	15%	1,06,588	-	1,06,588	15,988	90,600
लैमीशन मशीन	15%	2,897	-	2,897	434	2,463
<b>उप-योग</b>		<b>2,74,290</b>	<b>-</b>	<b>2,74,290</b>	<b>41,142</b>	<b>2,33,148</b>
				-	-	
प्रिंटर	60%	311	-	311	187	124
लैपटॉप	60%	5,854	-	5,854	3,512	2,342
सॉफ्टवेयर(प्रेजि)	60%	200	-	200	120	80
<b>उप-योग</b>		<b>6,365</b>	<b>-</b>	<b>6,365</b>	<b>3,819</b>	<b>2,546</b>
				-	-	
<b>कुल</b>		<b>4,02,587</b>	<b>-</b>	<b>4,02,587</b>	<b>57,154</b>	<b>3,45,433</b>

(रुपये)

**अनुसूची 6 : निवेश - मियादी जमा**

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
भारतीय स्टेट बैंक में मियादी जमा (कॉर्पस)	25,00,00,000	25,00,00,000
भारतीय स्टेट बैंक में मियादी जमा (अन्य)	10,40,00,000	8,65,00,000
आई.सी.आई.सी.आई बैंक में मियादी जमा (अन्य)	1,98,00,000	1,98,00,000
<b>कुल</b>	<b>37,38,00,000</b>	<b>35,63,00,000</b>

**अनुसूची 7- चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम**

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
<b>ए. चालू परिसंपत्तियां :</b>		
भारतीय स्टेट बैंक खाता में शेष(बैलेंस)	1,16,06,713	2,40,02,112
<b>बी. ऋण एवं अग्रिम/प्राप्य</b>		
टी.डी.एस लेखा वर्ष 2018-19(वि.व. 2019-20 डिमांड के प्रति समायोजन के बाद)	24,79,280	24,79,280
टी.डी.एस लेखा वर्ष 2019-20	21,71,494	21,71,494
टी.डी.एस लेखा वर्ष 2020-21	22,66,051	22,66,051
टी.डी.एस लेखा वर्ष 2021-22	17,61,934	-
कार्यालय अग्रदाय(इम्प्रेस्ट)	11,909	23,573
प्रतिभूति जमा (आई.एस.डी.)	2,000	2,000
मियादी जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	70,03,144	34,02,759
<b>कुल</b>	<b>2,73,02,525</b>	<b>3,43,47,269</b>

**अनुसूची 8- अर्जित ब्याज**

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
भारतीय स्टेट बैंक में मियादी जमा (कॉर्पस) पर ब्याज	1,56,23,489	1,56,25,052
भारतीय स्टेट बैंक तथा आई.सी.आई.सी.आई बैंक में अन्य मियादी जमा पर ब्याज	78,66,458	70,34,922
आयकर रिफंड पर ब्याज	-	7,62,145
भारतीय स्टेट बैंक में खोले गए बचत खाता पर ब्याज	4,63,901	7,97,357
घटाएं : एम.आई.डी.एच को अंतरित ब्याज	1,65,965	2,77,153
बचत खाता पर निवल(नेट) ब्याज	2,97,936	5,20,204
<b>कुल</b>	<b>2,37,87,883</b>	<b>2,39,42,323</b>

अनुसूची 9- प्रशासनिक व्यय

(रुपये)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
वित्त वर्ष 2019-20 हेतु लेखापरीक्षा फीस	60,180	1,20,360
सी.ए.जी लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा फीस(वि.व. 2013-14 से 2017-18)	2,31,410	-
मुद्रण एवं लेखन-सामग्री	48,354	1,61,141
यात्रा खर्चे	-	31,464
काट्रिज	40,125	36,580
टेलीफोन एवं इंटरनेट	57,648	75,709
प्रोफेशनल प्रभार	10,88,286	9,74,872
विविध खर्चे	25,769	14,848
समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं	2,503	13,178
परिवहन प्रभार	3,41,466	4,76,873
मरम्मत एवं अनुरक्षण	2,150	10,726
एन.पी.एस प्रभार	437	832
बैंक प्रभार	266	-
अतिथि/कर्मचारी कल्याण	15,641	46,916
डाटा एंटी ऑपरेटर हेतु वेतन(हायरिंग)	1,10,490	-
वाहन	3,393	-
सी.ई.ओ का चिकित्सा बीमा	-	29,500
<b>कुल</b>	<b>20,28,118</b>	<b>19,92,999</b>



राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

31 मार्च, 2021 तक तुलन-पत्र के हिस्से वाले खातों पर लेखांकन नीतियां और नोट्स

**नोट-10**

**लेखांकन नीतियां**

- 1) लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली का अनुसरण करते हुए खातों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया जाता है तथा प्रोद्भूत आधार पर आय और व्यय को पहचाना जाता है। लेखांकन नीतियों को विशेष रूप से अन्यथा संदर्भित नहीं किया जाता है जो आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं।
- 2) वर्ष के दौरान अधिग्रहित स्थायी परिसंपत्तियां क्रय के वर्ष में आय और व्यय खातों में प्रभारित की जाती हैं और साथ ही प्रत्यक्ष एवं वित्तीय नियंत्रण हेतु स्थायी परिसंपत्ति खातों के तहत तुलन-पत्र में अंतरित की जाती हैं।
- 3) निर्धारित समयावधि में दर्शाई गई परिसंपत्तियों के मूल्य को कम करने हेतु वार्षिक आधार पर मूल्यहास को प्रभारित किया जाता है, और लागू आयकर दरों के अनुसार प्रति प्रविष्टियों के अनुसार घटाया गया है।
- 4) निवेश लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

**खातों पर टिप्पणियां (नोट्स ऑन अकाउंट्स)**

1) सोसायटी आयकर अधिनियम की धारा 12एए के तहत पंजीकृत है और इसलिए वित्त वर्ष 2020-21 हेतु आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं, क्योंकि सोसायटी की आय को आई.टी अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट प्रदान की गई है। इसने वित्त वर्ष 2015-16 से आई.टी अधिनियम की धारा 11(2) के तहत रु.8,03,93,785 की धनराशि संचित की है, जिसे अगले पांच वर्षों में उपयोग किया जाना है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :

वित्त वर्ष	धनराशि (रुपये)	तक प्रयुक्त की जानी
2015-16	1,83,10,095	31.03.2021*
2016-17	1,52,72,603	31.03.2022
2017-18	1,22,44,874	31.03.2023
2018-19	97,38,458	31.03. 2024
2019-20	1,05,46,606	31.03.2025
2020-21	1,52,81,149	31.03.2026
<b>कुल</b>	<b>8,03,93,785</b>	

- 2) \*सोसायटी ने धारा 11(2) के तहत रु.1,83,10,095/- की धनराशि अलग रखी(सेट अपार्ट) रखी थी और संचित की थी, जिसका उपयोग दिनांक 31.03.2021 तक आयकर विभाग में फाइल किए गए फार्म-10 के अनुसार गतिविधियों के लिए किया जाना था। चूँकि सोसायटी संचित धनराशि के केवल एक हिस्से का उपयोग कर सकती है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान रु.1,73,10,095/- की शेष(बैलेंस) धनराशि कर योग्य है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जमा करने हेतु उसी पर कर देयता रु.60,48,340/- होगी।
- 3) राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र द्वारा कोल्ड-चेन ज्ञान प्रसार के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को जी.एस.टी से छूट दी गई है।
- 4) सोसायटी को बागवानी एकीकृत विकास मिशन(एम.आई.डी.एच) से राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी (एन.एल.ए) के रूप में सेवाएं प्रदान करने हेतु धनराशि प्राप्त हुई थी। 31 जनवरी, 2021 को रु.83,61,758/-(अव्ययित धनराशि पर रु.1,65,965/- के ब्याज सहित) के अप्रयुक्त शेष(बैलेंस) अनुपयोगी रहा। जिसे एम.आई.डी.एच को वापस किया गया।
- 5) **आकस्मिक देयता** : आकलन वर्ष 2019-20 के लिए रु.70,42,203/- की आयकर मांग हेतु कोई देयता नहीं मानी गई है, क्योंकि आई.टी.ओ ने आय व्यय खाते के अनुसार प्रशासनिक व्यय की कटौती पर विचार नहीं किया है और आई.टी. अधिनियम की धारा 11 के तहत एन.सी.सी.डी को छूट भी नहीं दी गई। यह गलत है और कानून में मान्य नहीं है। इस मांग(डिमांड) के विरुद्ध आयकर आयुक्त(अपील) को एक अपील दायर की गई है और एन.सी.सी.डी को विश्वास है कि मांग को रद्द कर दिया जाएगा। आयकर विभाग ने तब से डिमांड के प्रति आकलन वर्ष 2018-19 के लिए रु.24,79,280/- के आई.टी. रिफंड को समायोजित किया है। कर की मांग उस सीमा तक कम हो जाती है। आयकर विभाग द्वारा हमारी अपील के अंतिम निर्णय के वर्ष में किसी भी समायोजन/धनवापसी का हिसाब लगाया जाएगा।

संलग्न समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.पी.एन एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन : 001876 एन

(सी.ए. जितेंद्र नाथ)

साझेदार

सदस्यता संख्या 015549

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 28 सितंबर, 2021

कृते राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केन्द्र

(के.के.ढींगरा)

वित्त सलाहकार

(राजबीर सिंह पंवार)

निदेशक

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र  
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु प्राप्तियां एवं भुगतान

(रुपया)

प्राप्तियां	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	भुगतान	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
आरंभिक शेष(ओपनिंग बैलेंस)					
बैंक खाता	2,40,02,112	2,87,11,116	चालू देयताएं		
			देय व्यय- भुगतान किया गया	4,975	47,153
चालू परिसंपत्तियां			एनपीएस कर्मचारी- अंशदान भुगतान	1,95,283	3,79,019
टी.डी.एस वा.वर्ष 2016-17 रिफंड	-	26,78,895	एनपीएस नियोक्ता अंशदान भुगतान	1,95,283	6,54,086
टी.डी.एस वा.वर्ष 2017-18 रिफंड	-	27,79,561	टी.डी.एस(संविदा)	3,302	739
सावधि जमा परिपक्व	-	1,98,00,000	टी.डी.एस(प्रोफेशनल फीस)	78,900	54,543
			टी.डी.एस(वेतन)	1,16,000	6,81,100
अप्रत्यक्ष आय			चालू परिसंपत्तियां		
सावधि जमा पर ब्याज	1,94,79,271	2,41,35,329	अग्रदाय अग्रिम	30,000	1,05,000
एस.बी.आई के बचत खाता में ब्याज	4,63,901	7,97,357	टी.डी.एस वा.वर्ष 2021-22	13,51,643	18,36,970
आयकर रिफंड पर ब्याज	-	7,62,145	सावधि जमा सृजित	1,75,00,000	4,43,00,000
			अप्रयुक्त अनुदान(देय)		
			एन.एल.ए निधि रिफंड की गई	83,61,758	
			अप्रत्यक्ष खर्च		
			वेतन एवं मजदूरी	26,00,178	63,82,719
			काट्रिज खर्च	16,125	36,380
			डाटा एंटी ऑपरेटर फीस	81,882	-
			विविध खर्च	8,792	-
			एन.पी.एस प्रभार	437	637
			मुद्रण एवं लेखन-सामग्री	48,354	1,59,433
			प्रोफेशनल प्रभार	13,52,989	4,69,832
			टेलिफोन एवं इंटरनेट	53,960	68,875
			ट्रांसपोर्ट प्रभार	3,38,444	4,21,093
			बैंक प्रभार	266	-
			यात्रा खर्च	-	29,961
			मरम्मत एवं अनुरक्षण	-	5,251
			सी.ई.ओ का चिकित्सा बीमा	-	29,500
			अंत शेष(क्लोजिंग बैलेंस)		
			बैंक खाता	1,16,06,713	2,40,02,112
<b>कुल</b>	<b>4,39,45,284</b>	<b>7,96,64,403</b>	<b>कुल</b>	<b>4,39,45,284</b>	<b>7,96,64,403</b>

संलग्न समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.पी.एन एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन : 001876 एन

कृते राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केन्द्र

(सी.ए. जितेंद्र नाथ)

साझेदार

सदस्यता संख्या 015549

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 28 सितंबर, 2021

(के.के.ढींगरा)

वित्त सलाहकार

(राजबीर सिंह पंवार)

निदेशक

## 11. प्रयुक्त संकेतन एवं परिभाषाएं

ए.पी.ई.डी.ए	निर्यात विकसित करने के अधिदेश सहित वाणिज्य मंत्रालय के तहत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, और जो कोल्ड-चेन आधारीक संरचना का विकास भी करता है।
सी.आई.आई.	भारतीय उद्योग परिषद : सी.आई.आई अपने खाद्य एवं कृषि उत्कृष्टता केंद्र(एफ.ए.सी.ई) के माध्यम से एन.सी.सी.डी सचिवालय के साथ मिलकर काम करता है और एन.सी.सी.डी की तरफ से एन.सी.सी.डी के उद्देश्यों को पूरा करने में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है।
डी.ए.सी एंड एफ डब्ल्यू	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
ई.सी	कार्यकारी समिति : वह समिति जो किसी संगठन के कार्यकारी कार्यों का निर्णय करती है।
एफ.ए.ओ	संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन
एफ.सी.एस. ए.ओ.आई	फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इंडिया : कोल्ड स्टोरेज के राज्य स्तरीय संघों का अखिल भारतीय गठबंधन।
एफ.पी.ओ	किसान उत्पादक संगठन : जहां किसानों का एक समूह जो अपने उद्यम स्तर संचालन हेतु एक संस्थागत संरचना का निर्माण करता है।
जी.सी	शासी परिषद् : वह परिषद् जो कार्यकारी(एक्जिक्यूटिव) की देखरेख करती है और नीतिगत स्तर के निर्णय लेती है।
एच.सी.एफ.सी	हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कार्बन : रेफ्रिजरेंटों में उपयोग किए जाने वाले अक्रिय यौगिकों का एक वर्ग, जो सी.एफ.सी की तुलना में ओजोन परत के लिए कम विनाशकारी है। हालांकि, उनमें ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता होती है।
आई.सी.ए.पी	एकीकृत कोल्ड-चेन उपलब्धता मंच(प्लेटफॉर्म)
एम.आई.डी.एच	बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन: वर्ष 2014 में शुरू किया गया, यह मिशन बागवानी पर पिछली सभी योजनाओं को पूरा करता है ताकि समय परिणामों के लिए गतिविधियों को एकीकृत एवं आगे बढ़ाया जा सके।
एम.ओ.एफ.पी.आई	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय : कोल्ड-चेन सब्सिडी कार्यक्रमों को भी लागू करता है।
एन.सी.सी.डी	राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र : सार्वजनिक एवं निजी हितधारकों की एक सोसायटी, जिसे कृषि मंत्रालय प्रारंभिक पूंजी प्रदान करता है और सरकार के बिना किसी लागत के सरकार के सलाहकार निकाय के रूप में एक स्वायत्त तरीके से कार्य करती है।

एन.एच.बी	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड : एम.आई.डी.एच की केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी ।
एन.एच.एम	राष्ट्रीय बागवानी मिशन : एम.आई.डी.एच की उप-योजना ।
एन.एल.ए	राष्ट्रीय स्तर एजेंसी : तकनीकी और ज्ञान का समर्थन प्रदान करने के लिए उपयुक्त विशेषज्ञता के साथ एम.आई.डी.एच द्वारा पहचाने गए संगठन। एन.एल.ए.एस योजना को लागू नहीं करते हैं लेकिन कार्य योजना की स्वीकृति के बाद विशिष्ट सहायता कार्यों हेतु संसाधन आबंटित किए जाते हैं।
पी.एच.डी	पी.एच.डी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री : एन.सी.सी.डी सचिवालय के साथ पी.एच.डी मिलकर काम करता है, और एन.सी.सी.डी की तरफ से सीधे एन.सी.सी.डी के उद्देश्यों को पूरा करने में शामिल है।
पी.पी.पी	सार्वजनिक निजी भागीदारी । आमतौर पर यह आधारिक संरचना परियोजनाओं में देखा जाता है, जहां एक रियायतकर्ता सरकारी सहयोग के रूप में भूमि और निधियों का उपयोग करता है, और परियोजना रियायत अवधि के अंत में सरकार को वापस कर देता है। एन.सी.सी.डी के मामले में इसका अतिरिक्त अर्थ है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र संयुक्त नेतृत्व संरचना के माध्यम से संचालन और कार्यों को संयुक्त रूप से व्यवस्थित करते हैं, जहां प्रशासन सरकार के अधीन है और उद्योग नेतृत्व द्वारा कार्यकारी निर्णय किया जाता है।
एस.एच.एम	राज्य बागवानी मिशन : एम.आई.डी.एच की केंद्रीय प्रायोजित गतिविधियों की राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी।
यू.एन.ई.पी	संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम।